भाग - III

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2011

संख्या का.आ. 49 / के.अ.35 / 2009 / धा. 38 / 2011.—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 35), की धारा 38 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) ये नियम हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्राय है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 35);

(ख) **"शैक्षणिक प्राधिकारी"** से अभिप्राय है, राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, गुडगांव ;

(ग) **"आंगनवाड़ी"** से अभिप्राय है, भारत सरकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास स्कीम के अधीन स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्र ;

(घ) **"परिशिष्ट"** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट ;

(ड़) **"उपयुक्त कक्षा के लिए उपयुक्त आयु"** से अभिप्राय है, कक्षा में प्रवेश के लिए आयु, जो निम्नलिखित होगी:–

(i) कक्षा एक के लिए: पाँच वर्ष से छह वर्ष ;

(ii) कक्षा दो के लिए: छह वर्ष से सात वर्ष ;

(iii) कक्षा तीन के लिए: सात वर्ष से आठ वर्ष ;

(iv) कक्षा चार के लिए: आठ वर्ष से नौ वर्ष ;

(v) कक्षा पाँच के लिए: नौ वर्ष से दस वर्ष ;

(vi) कक्षा छह के लिए: दस वर्ष से ग्यारह वर्ष ;

(vii) कक्षा सात के लिए: ग्यारह वर्ष से बारह वर्ष ;

(viii) कक्षा आठ के लिए: बारह वर्ष से तेरह वर्ष ;

(च) **"कमजोर वर्ग तथा अलाभप्रद ग्रुप से सम्बन्धित बालक"** से अभिप्राय है, निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक से सम्बन्धित बालक ;

(i) हरियाणा सरकार द्वारा जारी तथा अनुमोदित ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से 'गरीबी रेखा से नीचे' की नवीनतम सूची के अधीन आने वाले परिवार का बालक ;

(ii) अनाथ ;

(iii) एच.आई.वी. प्रभावित बालक ;

(iv) विशेष जरूरत वाला बालक ;

(v) युद्ध विधवा का बालक ;

(छ) **"निदेशक"** से अभिप्राय है, निदेशक, मौलिक शिक्षा विभाग तथा इसमें शामिल है सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ;

(ज) **"जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी"** से अभिप्राय है, जिले का मौलिक शिक्षा अधिकारी जिसमें मान्यता प्राप्त प्राथमिक / मिडल विद्यालय स्थित है तथा इसमें शामिल है सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

(झ) **"प्ररूप"** से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररुप;

(ञ) **"सरकार"** से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य सरकार ;

(ट) **"स्थानीय प्राधिकारी"** में शामिल है, अधिनियम में परिभाषित निम्नलिखित निकायों के अतिरिक्त,–

(i) विद्यालय प्रबन्ध समिति ;

(ii) खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अपर उपायुक्त तथा उपायुक्त ;

(iii) "मेवात विकास बोर्ड" तथा "शिवालिक विकास बोर्ड" उनके अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में ;

(ठ) **"प्रबन्धन समिति"** से अभिप्राय है, किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के प्रबन्धन से न्यस्त व्यष्टि निकाय ;

(ड) **"नगरपालिका"** से अभिप्राय है, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) में यथा परिभाषित नगर पालिका ;

(ढ़) **"आस–पड़ोस क्षेत्र"** से अभिप्राय है, शहरी क्षेत्रों में हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) के अधीन ग्राम पंचायत, जैसी भी स्थिति हो ऐसे रूप में घोषित कोई वार्ड ;

(ण) **"आस–पड़ोस विद्यालय"** से अभिप्राय है, कोई विद्यालय जो निदेशक के अनुमोदन से स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी एक या अधिक आस–पड़ोस क्षेत्र से संलग्न है ;

(त) **"छात्र संचित अभिलेख"** से अभिप्राय है, 'विस्तृत और सतत् मूल्यांकन' पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख ;

(थ) **"शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण"** से अभिप्राय है, नियम 23 के उप नियम (2) के अधीन गठित कोई प्राधिकरण ;

(द) **"धारा"** से अभिप्रायः है, अधिनियम की धारा ;

(ध) **"राज्य सलाहकार परिषद"** से अभिप्राय, अधिनियम की धारा 34 की उप धारा (1) के अधीन गठित कोई परिषद् ;

(न) **"स्कूल बस्ता"** से अभिप्राय है, एक ऐसा बस्ता जिसमें पर्याप्त सभी पठन तथा लेखन सामग्री ले जाई जा सकें ;

(प) **"विद्यालय प्रबन्धन समिति"** से अभिप्राय है, धारा 21 की उप धारा (1) के उपबन्धों के अधीन गठित समिति ;

(फ) **"विद्यालय–मानचित्रण"** से अभिप्राय है, सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक दूरी को कम करने के लिए विद्यालय स्थान की योजना बनाना ;

(ब) **"पाठय–पुस्तक"** से अभिप्राय है, पाठ्य–पुस्तक, अनुपूरक–पुस्तक तथा कार्य–पुस्तक या कोई अन्य पढ़ने वाली सामग्री जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(भ) **"वर्दी"** में शामिल है परिशिष्ट III में यथा विनिर्दिष्ट सभी कपड़े तथा अतिरिक्त वस्तुएं ;

(म) **"लेखन–सामग्री"** से सामग्री अभिप्राय है, कापियां, अभ्यास–पुस्तिका, पैन, पैन्सिल, रंगों का डिब्बा, रबड़ या कोई अन्य सामग्री, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित सभी अन्य शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिया गया है।

विशेष प्रशिक्षण।

3. (1) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वामित्वाधीन और प्रबन्धनाधीन किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेगी, अर्थात्:–

(क) विशेष प्रशिक्षण शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई, उपयुक्त आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा ;

(ख) प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों में लगाई गई कक्षाओं में दिया जाएगा;

(ग) प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा ;

(घ) उक्त प्रशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे विद्या की प्रगति की आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अधिक की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी;

(2) बालक, आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर, विशेष प्रशिक्षण के पश्चात् अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षणिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके।

आस–पड़ोस विद्यालय का क्षेत्र या सीमाएं। धारा 6

4. (1) आस–पास के क्षेत्र की सीमाएं जिनके भीतर सरकार द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है, निम्नलिखित होंगी :–

(क) कक्षा I से V एक किलोमीटर की दूरी के भीतर :

परन्तु पाँच से छह वर्ष की आयु के कम से कम तीस बालक हों ;

(ख) कक्षा VI से VIII तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर :

परन्तु प्राथमिक स्कूल में कम से कम एक सौ पचास तथा कक्षा पाँच में कम से कम तीस बालक हों ;

(2) कठिन भू–भाग, भूस्खलनों, बाढ़ के जोखिम, कम सड़कों वाले स्थानों में और साधारणतया, युवा बालकों के लिए अपने घरों से विद्यालय तक पहुंचने में खतरे वाले स्थानों में सरकार या स्थानीय प्राधिकरण ऐसी रीति में विद्यालय अवस्थित करेगा, जिससे कि उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं को कम करके ऐसे खतरों से बचा जा सके।

(3) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पता लगाए गए ऐसे लधु पुरवों के लिए जहां उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट आस–पास के क्षेत्र या सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमाओं के शिथिलीकरण में, निःशुल्क परिवहन तथा अन्य सुविधाएं जैसी पर्याप्त व्यवस्थाएं करेगा।

(4) उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में सरकार या स्थानीय प्राधिकरण ऐसे क्षेत्रों में छह से चौदह आयु समूह वाले बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आस–पड़ोस के एक से अधिक विद्यालयों की स्थापना के बारे में विचार करेगा।

(5) स्थानीय प्राधिकरण आस–पड़ोस के ऐसे विद्यालयों का पता लगाएगा, जहां बालकों को प्रवेश दिया जा सकता है और अपनी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक आवास के लिए निदेशक के अनुमोदन के बाद ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा।

(6) ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त बालकों के सम्बन्ध में जो उन्हें विद्यालय में पहुँचने में बाधा बनती है, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण समुचित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

(7) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में बच्चों की पहुंच सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण प्रतिबाधित न हों।

(8) नया विद्यालय खोलने से पूर्व, सरकार वर्तमान प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भीतर सुव्यवस्थीकरण करेगी तथा उनके विलय या समाप्ति से सम्बन्धित सहित उचित निर्णय लेगी जैसा सुव्यवस्थीकरण से प्रकट हों।

(9) प्रत्येक विद्यालय में शिष्य–अध्यापक अनुपात बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार अध्यापकों के सुव्यवस्थीकरण तथा पुनः परिनियोजन का प्रबन्ध करेगी। ऐसा कार्य प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक पूरा किया जाएगा तथा अध्यापकों का परिनियोजन अनुसूची में विर्निदिष्ट मानकों द्वारा शासित होगा।

सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण के उत्तरदायित्व।

5. (1) धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) के अनुसार, धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (i) तथा (ii) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक और धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार, धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक धारा 3 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित निःशुल्क शिक्षा के लिए हकदार होगाः

परन्तु निःशक्तता से ग्रस्त किसी बालक को भी निःशुल्क विशेष विद्या और सहायक सामग्री भी मुहैया कराई जाएगी।

स्पष्टीकरण : (1) धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार प्रवेश दिए गए बालक के सम्बन्ध में निःशुल्क शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (ii), (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय का होगा।

(2) आस–पड़ोस के विद्यालयों का अवधारण करने और उनकी स्थापना करने के प्रयोजन के लिए निदेशक के परामर्श से स्थानीय प्राधिकरण विद्यालय का मानचित्रण तैयार करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों के बालकों, निःशक्तताग्रस्त बालकों, अलाभप्रद ग्रुप से सम्बन्धित बालकों, कमजोर वर्ग से सम्बन्धित बालकों और धारा 4 में निर्दिष्ट बालकों सहित सभी बालकों की इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष पहचान करेगा।

(3) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धार्मिक या लिंग सम्बन्धी दुर्व्यवहार, के अध्यधीन नहीं हो।

(4) धारा 8 के खण्ड (ग) और धारा 9 के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए, सरकार और स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि किसी कमजोर वर्ग से सम्बन्धित किसी बालक और अलाभप्रद ग्रुप से सम्बन्धित किसी बालक को कक्षा में, दोपहर के भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, सामान्य पेयजल और प्रसाधन सुविधाओं के उपयोग में अलग न रखा जाए या उसके साथ भेद–भाव या पक्षपात न किया जाए।

(5) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा प्रथम कक्षा में दाखिले से पहले शिक्षा देने का प्रयास करेगा।

स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना।

6. (1) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से स्थापित प्राधिकरण अपनी अधिकारिता के भीतर घरेलू सर्वेक्षण द्वारा सभी बालकों का उनके जन्म से पाँच वर्ष की आयु तक का अभिलेख रखेगा।

(2) जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्थानीय प्राधिकरण की सहायता से अपनी अधिकारिता के भीतर घरेलू सर्वेक्षण द्वारा सभी बालकों का उनकी पाँच वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु तक का अभिलेख रखेगा।

(3) उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट अभिलेख को प्रति वर्ष अद्यतन किया जाएगा।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेख को सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शी रूप से रखा जाएगा और धारा 9 के खण्ड (ङ) या निदेशक द्वारा यथा विनिश्चित किसी अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।

(5) उपनियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट अभिलेख प्ररूप III में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सूचना सहित प्रत्येक बालक के सम्बन्ध सहिताबद्ध किया जाएगा।

(6) खण्ड शिक्षा अधिकारी या खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी अधिकारिता के अधीन विद्यालयों में नामांकित सभी बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से संप्रदर्शित किए गए हैं।

(7) जन स्वास्थ्य केन्द्र तथा आंगनवाड़ी/पूर्व प्राथमिक विद्यालय के सहयोजन में स्वास्थ्य निरीक्षण करते हुए प्रत्येक बालक के सम्बन्ध में व्यापक स्वास्थ्य कार्ड रखा जाएगा। अपेक्षित चिकित्सा सहायता तथा प्रबन्धन यथा अपेक्षित बालकों को मुहैया करवाया जाएगा। स्वास्थ्य कार्ड बालक की मौलिक शिक्षा पूरी होने तक वार्षिक अधतन किया जाएगा।

कमजोर वर्ग और अलाभप्रद ग्रुप से सम्बन्धित बालकों का प्रवेश।

7. (1) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश दिए गए बालक को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से पृथक किया जाएगा न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जाएंगी।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में प्रवेश दिए गए

बालक के साथ विद्यालय में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक सुविधाओं जैसे कक्षा–कक्ष, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों एकीकृत कम्प्यूटर प्रशिक्षण सुविधाओं, पाठ्यतर गतिविधियों और खेल कूद के उपयोग से सम्बन्धित किसी रीति में, शेष बालकों से विभेद नहीं किया जाएगा।

(3) नियम 4 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आस–पड़ोस का क्षेत्र या सीमाएं धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में दिये गए प्रवेशों को लागू होंगी:

परन्तु विद्यालय धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्थानों की अपेक्षित प्रतिशतता को भरने के प्रयोजनों के लिए निदेशक के पूर्व अनुमोदन से इन सीमाओं का विस्तार कर सकेगा।

(4) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) तथा (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगे कि कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा, जहां कहीं लागू हो, की कुल सीटों का कम से कम पच्चीस प्रतिशत, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार कमजोर वर्ग तथा अलाभप्रद ग्रुप से संबंध रखने वाले बालकों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी ;

परन्तु कमजोर वर्ग तथा अलाभप्रद ग्रुप में से अनुसूचित जातियो के बालकों के लिए पाँच प्रतिशत पिछड़े वर्ग (क) के बालकों के लिए, चार प्रतिशत पिछड़े वर्ग (ख) के बालकों के लिए अढ़ाई प्रतिशत सीट आरक्षित की जाएगी :

परन्तु यह और है कि यदि विशेष विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदकों की संख्या कमजोर वर्गों तथा अलाभप्रद ग्रुपों से सम्बन्धित बालकों के लिए सीटों की संख्या से अधिक है, तो प्रवेश ड्रॉ आफ लॉटस द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :– उपरोक्त वर्णित सीटों पर प्रवेश, आस–पड़ोस के क्षेत्र से संबंधित ऐसे विद्यालयों के बालक को ही दिया जाएगा जहां उनके परिवार सामान्यत निवास कर रहे है अन्यथा नहीं । निदेशक आस–पड़ोस में परिवार के निवास की पुष्टि के बारे में दिशा निर्देश जारी करेगा।

(5) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (ii) मे निर्दिष्ट विद्यालय कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा, यदि कोई हो, से कक्षा आठ तक तथा किसी रीति में विद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदानों के समानुपात मे सीटें आरक्षित करेगा तथा ऐसे समानुपात में बालको को प्रविष्ट करेगा तथा धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार उनको मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देगा। ऐसे प्रवेश निम्नलिखित रीति मे किए जांएगे:–

(क) (i) पच्चीस प्रतिशत सीटें कक्षा एक या पूर्व कक्षा, यदि कोई हो, कमजोर तथा अलाभप्रद ग्रुप से सम्बन्धित बालक के लिए आरक्षित होगी। ऐसी सीटों का वितरण नियम 7 के उपनियम (4) के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) कक्षा एक से पूर्व कक्षा, यदि कोई हो, में शेष सीटों को कुल आरक्षित सीटों में से उन आस–पड़ोस के क्षेत्रों के निवास करने वाले बालक से भरा जाएगा जिससे ऐसे विद्यालय संलग्न हैं ।

(ख) ऐसे प्रवर्ग के विद्यालय इन विद्यालयों द्वारा प्राप्त अनुदान के समानुपात में कक्षा दो से आठ तक सीटें आरक्षित करेंगें।

(6) ऐसे प्रवर्ग के विद्यालय उपरोक्त वर्णित उपबन्ध के अधीन उनमें प्रवेश किए गए सभी ऐसे बालक के मौलिक शिक्षा के स्तर को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार द्वारा प्रति – बालक व्यय की प्रतिपूर्ति।

8. (1) सरकार द्वारा अवगत सभी ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों के सम्बन्ध में मौलिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों और केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, सरकार द्वारा उपगत किया गया प्रति–बालक व्यय होगा।

स्पष्टीकरण : प्रति बालक व्यय का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालयों पर सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम की बाबत एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।

(3) विद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जुलाई कें महीने में विद्यालय में दाखिल बालकों के नामों की सूची जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा। ये नाम निदेशक द्वारा यथा अपेक्षित रीति में प्रदर्शित भी किए जाएंगे।

(4) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iv) में वर्णित विद्यालय जिसने विद्यालय की स्थापना तथा संचालन के लिए भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधाओं को निशुल्क या रियायती दरों पर प्राप्त किया गया है तथा विद्यालयों के द्वारा यह सुविधाएं लेने के दौरान अपने विद्यालय में बालकों को किसी एक कक्षा या अधिक कक्षाओं में निशुल्क शिक्षा देने का वचन दिया है, ऐसे विद्यालय उस वचनबद्धता से बंधे रहेंगे। तदानुसार कोई भी प्रतिपूर्ति ऐसे समानुपात में नहीं की जाएगी जिसमें विद्यालय उपरोक्त वर्णित अनुसार बचनबद्धता के अनुसार निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देगें।

(5) (क) धारा 2 खण्ड (ढ) उपखण्ड (ii) में वर्णित विद्यालयों को नियम 7 के अनुसार सरकार से प्राप्त अनुदानों के समानुपात में प्रवेश देना होगा तथा ऐसे विद्यालयों को खर्च की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(ख) धारा 2 खण्ड (ढ) उपखण्ड (iii) तथा (iv) में वर्णित विद्यालयों को जितनी प्रतिशतता में वे कमजोर वर्ग तथा अलाभप्रद ग्रुप के बालकों को प्रवेश देते हैं व्यय की प्रतिपूर्ति में की जाएगी।

(6) (क) सरकार, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, (आयोजना), निदेशक, मौलिक शिक्षा तथा निदेशक

राज्य परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान को मिलाकर समिति का गठन करेगी। समिति इन नियमों की अधिसूचना के बाद तीन मास के भीतर बैठक करेगी तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष सितम्बर मास में आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रति बालक खर्च का निर्धारण करेगी ;

(ख) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के अधीन विद्यालय तथा असहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा उपगत खर्च की प्रतिपूर्ति धारा 12 के खण्ड (1) के उप खण्ड (ग) के अधीन प्रवेश किए गए बालकों को शैक्षणिक वर्ष के दौरान दो किश्तों में विद्यालय द्वारा अनुरक्षित पृथक् बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से इलैक्ट्रोनिक अन्तरण के माध्यम से की जाएगी। पचास प्रतिशत की प्रथम किश्त की सितम्बर मास में प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा शेष की फरवरी मास में प्रतिपूर्ति की जाएगी। द्वितीय किश्त जनवरी तक की उपस्थिति का न्यूनतम अस्सी प्रतिशत तथा शिष्य संचयी अभिलेख के अधीन ऐसे बालकों का अवधारण तथा उपस्थिति के सत्यापन के बाद की जाएगी ।

आयु के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज।

9. (1) जहां कहीं जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 (1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं, वहां निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जाएगाः–

(क) अस्पताल या सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख ;

(ख) आंगनबाड़ी अभिलेख ; अथवा

(ग) माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र।

(2) मुख्य अध्यापक जन्म प्रमाण पत्र के बिना किसी बालक के प्रवेश के संबंध में सम्बन्धित स्थानीय प्रधिकरण को सूचित करेगा तथा संबंधित प्राधिकरण (रजिस्ट्रार, जन्म तथा मृत्यु) को ऐसी सूचना के छह मास के भीतर जन्म प्रमाण–पत्र की प्रति अग्रेषित करेगा।

प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि। धारा 15

10. (1) प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि विद्यालय के शैक्षिक वर्ष के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की होगी।

(2) जहां किसी बालक को विस्तारित अवधि के पश्चात् किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है वहां वह विद्यालय के प्रधान या अध्यापक द्वारा यथा अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा ।

शिक्षा का माध्यम।

11. हिन्दी को सभी विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम से अधिमान दिया जाएगा। किसी अन्य शिक्षा के माध्यम को अपने के इच्छुक संस्था को निदेशक की पूर्व अनुज्ञा लेनी होगी। यह अनुज्ञा निदेशक के कार्यालय में पत्र की प्राप्ति के पैन्तालीस दिन के भीतर प्रदान की जाएगी। यदि अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं दी जाती है तो यह प्रदान की गई समझी जाएगी।

विद्यालय को मान्यता ।

12. (1) इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वाधीन या नियंत्राणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय इन नियमों के

प्रारम्भ के तीन मास की अवधि के भीतर सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को अनुसूची में विनिर्दिष्ट संनियमों और मानकों के उसके द्वारा अनुपालन किए जाने या अन्यथा और निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने के सम्बन्ध में प्ररुप I तथा II में स्वघोषणा करेगा, अर्थात्:–

(क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत वैयक्तिक व्यष्टि–संगम या फर्म या सोसाइटी, या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अधीन सर्जित न्यास, या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 11) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी द्वारा संचालित विद्यालय है। विद्यालय प्राधिकरण इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों का अनुसरण करेगा;

(ख) विद्यालय संविधान में प्रतिस्थापित आदेशों के अनुरूप हैं;

(ग) विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं;

(घ) विद्यालय राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध हैं;

(ड.) विद्यालय समय–समय पर ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करता है, जिनकी अपेक्षा की जाए, और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करते हैं जो विद्यालय की मान्यता की शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

(च) धारा 25 में यथा विनिर्दिष्ट शिष्य अध्यापक अनुपात अनुरक्षित किया जाता है;

(छ) विद्यालय बाधा मुक्त पहुंच मुहैया करता है तथा अशक्तता वाले बालकों के लिए प्रसाधन बनाता है।

(2) प्ररुप 1 में प्राप्त प्रत्येक स्वतः घोषणा उसके प्राप्त होने के पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए रखी जाएगी ।

(3) एक निरीक्षण समिति होगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सदस्य के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा सम्बद्ध ग्राम पंचायत का सरपंच/वार्ड का नगरपालिका पार्षद, जिसमें विद्यालय स्थित है, शामिल होंगे। समिति ऐसे विद्यालयों का स्थल पर निरीक्षण करेगी जो स्वतः घोषणा की प्राप्ति के दो मास के भीतर उप नियम (1) में वर्णित सन्नियमों तथा मानकों तथा शर्तों को पूरा करने के लिए प्ररूप 1 मे दावा करते हैं।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट निरीक्षण किए जाने के पश्चात् निरीक्षण रिपोर्ट सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत की जाएगी और विद्यालयों को मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप पाए जाने पर निरीक्षण की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर मौलिक शिक्षा निदेशालय के अपर निदेशक (प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा मान्यता प्रदान की जाएगी ।

(5) वे विद्यालय जो उपनियम (1) में वर्णित मानदंडों, मानकों और शर्तो के अनुरुप नहीं हैं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस आशय के लोक आदेश के माध्यम से सूचीबद्ध किए जाएंगे तथा ऐसा विद्यालय 31 मार्च, 2013 से पूर्व किसी समय मान्यता को प्रदान करने के लिए स्थल के निरीक्षण हेतु जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से अनुरोध कर सकता है।

(6) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय जिसकी स्थापना इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् की गई है वे मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के उद्देश्य से उपनियम (1) में उल्लिखित मानदंडों तथा परिशिष्ट I तथा परिशिष्ट II में विनिर्दिष्ट भूमि तथा भवन के लिए मानकों को पूरा करेगा। मान्यता प्रदान करने से पूर्व समिति उपनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट निरीक्षण करेगी तथा तदानुसार मान्यता उक्त उप नियम में यथाविनिर्दिष्ट समय अनुसूची के भीतर उप नियम (4) में यथा वर्णित प्राधिकरण द्वारा दी गई मान्यता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

विद्यालय की मान्यता वापस लेना।

13. (1) जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्वःप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह विश्वास करने का कारण रखता है कि नियम 11 के अधीन मान्यताप्राप्त किसी विद्यालय ने मान्यता प्रदान किए जाने के लिए शर्तों में से एक या अधिक का उल्लंघन किया है या अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों को पूरा करने में असफल रहा है, तो वह निम्नलिखित रीति में कार्य करेगाः–

(क) विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करना और इक्कीस दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगना ;

(ख) स्पष्टीकरण के समाधानप्रद न पाए जाने या नियत समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जिले के उपायुक्त द्वारा नामांकित की जाने वाली निम्नलिखित मनोनीत सदस्यों से गठित तीन से पाँच सदस्यों की समिति द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करवा सकता है :–

(i) शिक्षाविद 1 ;

(ii) पंचायती राज सस्था–1 ;

(iii) जन संचार प्रतिनिधि–1 ;

(iv) सरकारी प्रतिनिधि–2 ;

समिति द्वारा विधिवत् जांच की जाएगी तथा मान्यता को जारी रखने या इसकी वापसी के लिए अपनी सिफारिश के साथ अपनी रिपोर्ट जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को एक मास के भीतर प्रस्तुत करेगी।

(ग) जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ समिति की रिपोर्ट को पन्द्रह दिवसों के भीतर निदेशक को भेजेगा।

(2) निदेशक विधिवत् जांच के बाद जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से पैंतालीस दिवसों की अवधि के भीतर स्कूल की मान्यता वापस लेने या अन्यथा के लिए स्पीकिंग आदेश पारित करेगा।

(3) निदेशक, उप नियम (2) में सन्दर्भित आदेश के आधार पर अपना निर्णय पन्द्रह दिवसों के भीतर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगा :

परन्तु ऐसे विद्यालय को प्रबन्ध समिति के सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना मान्यता को इस प्रकार वापस नहीं लिया जाएगा।

(4) जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, निदेशक, द्वारा पारित आदेश का आगे निष्पादन इसकी प्राप्ति के पन्द्रह दिवसों के भीतर करेगा।

(5) मान्यता रद्द करने का आदेश तुरन्त उत्तरवर्ती शैक्षणिक वर्ष से कारगर होगा तथा आस–पड़ोस के विद्यालयों जिसमें गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय के बच्चों को दाखिला दिया गया है, को विनिर्दिष्ट करेगा ।

विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना तथा कृत्य।

14. (1) इन नियमों के प्रारम्भ से छह मास के भीतर अपनी अधिकारिता के भीतर गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन तथा प्रत्येक दो वर्ष बाद पुनर्गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति (जिसे, इसमे, इसके बाद, एस०एम०सी० के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का गठन उपनियम (4) में यथा उपबंधित संयोजक सदस्य को छोड़कर सदस्यों से गठित होगी, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए है:–

(i) विद्यार्थियों की संख्या 001–300 तक–12 सदस्य ;

(ii) विद्यार्थियों की संख्या 301–500 तक–16 सदस्य ;

(iii) विद्यार्थियों की संख्या 501 या अधिक–20 सदस्य ।

(2) विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य संख्या का पचहत्तर प्रतिशत बालकों के माता–पिताओं या संरक्षकों में से होगा। विद्यालय में पढ़ रहे बालकों के माता–पिता तथा अभिभावकों की एक सभा का आयोजन समिति के गठन के लिए विद्यालय के मुख्य शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में किया जाएगा। माता पिता तथा अभिभावक संघ विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए यथाअपेक्षित सर्वसम्मति से सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। किसी मामले में विवाद की दशा में खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी को जिला तथा बाद में मौलिक शिक्षा अधिकारी को मामले के समाधान के लिए सूचित किया जाएगा ।

(3) विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगा, अर्थात्:–

(क) नगरपालिका या ग्राम पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के निर्वाचित सदस्यों मे से एक–तिहाई सदस्य ;

(ख) विद्यालय के अध्यापकों में से एक–तिहाई सदस्य, जिसका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा ;

(ग) स्थानीय शिक्षाविदों या विद्यालय के बालकों में से एक–तिहाई सदस्य, जिनका विनिश्चय समिति मे माता–पिताओं/संरक्षकों द्वारा किया जाएगा ।

(4) विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन में पच्चास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होगी। विद्यालय प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों में से प्रत्येक में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित होगा। विशेष आवश्यकता के साथ बालकों के कम से कम माता या पिता को विद्यालय प्रबंधन समिति में सहयोजित किया जाएगा यदि वह पहले से ही शामिल न हो।

(5) विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी तथा उपाध्यक्ष माता–पिता/संरक्षण सदस्यों मे से होगा। विद्यालय का मुख्य अध्यापक या विद्यालय में जहां मुख्य अध्यापक नहीं है, वहां विद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य संयोजन होगा।

(6) विद्यालय प्रबंधन समिति मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और सदस्य–संयोजक द्वारा बैठकों के कार्यवृत तथा विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

(7) विद्यालय प्रबंधन समिति, धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों जिसके लिए यह इसके सदस्यों में से लघु कार्यसमूह से गठित हो सकती है, का पालन करेगी, अर्थात्:–

(क) अधिनियम में यथा प्राधिकरण बालक के अधिकारों के साथ ही राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, विद्यालय, माता–पिता और संरक्षक के कर्तव्यों को भी विद्यालय के आस–पड़ोस की जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप में सूचित करना ;

(ख) धारा 24 के खण्ड (क) और ङ) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ;

(ग) इस बात की निगरानी करना कि अध्यापकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों से भिन्न गैर–शैक्षिक कर्तव्यों का भार न डाला जाए ;

(घ) विद्यालय में आस–पड़ोस के सभी बालकों को नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना ;

(ङ) अनुसूची में विहित सन्नियमों और मानकों को बनाए रखने की निगरानी करना ;

(च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीडन, प्रवेश से इंकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को स्थानीय प्राधिकरण की जानकारी में लाना ;

(छ) आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी करना ;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं की निगरानी करना और प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना ;

(झ) विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन की निगरानी करना ;

(ञ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना ;

(ट) सरकार द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य।

(8) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त किसी धनराशि को एक पृथक् बैंक खाते में रखा जाएगा, जिसकी प्रत्येक वर्ष संपरीक्षा की जाएगी।

(9) उपनियम (6) के खण्ड (ञ) और उपनियम (7) में निर्दिष्ट लेखों को विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उनके तैयार किए जाने की एक मास की अवधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

विद्यालय विकास योजना तैयार करना।

15. (1) विद्यालय प्रबंधन समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनाएं होंगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे : –

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन के प्राक्कलन ;

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के प्रति निर्देश से परिकलित, कक्षा एक से पाँच और कक्षा छः से आठ के लिए पृथक रूप से, अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अन्तर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अध्यापक शामिल हैं, की संख्या की अपेक्षा तीन वर्ष की अवधि से ऊपर होगी ;

(ग) परिशिष्ट I तथा विनिर्दिष्ट II में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित, तीन वर्ष की अवधि से उपर अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की भौतिक अपेक्षा ;

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के सम्बन्ध में वर्षवार तीन वर्ष की अवधि से ऊपर अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, जिसके अन्तर्गत धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और वर्दियों जैसी बालकों/बालिकाओं की हकदारी तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त वित्तीय अपेक्षा भी शामिल है।

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष, जिसमें उसे तैयार किया जाता है, की समाप्ति से पूर्व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपर उपायुक्त को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) विद्यालय विकास योजना तैयार करने का प्रशिक्षण तथा एस.एम.सी. के सदस्य संयोजक तथा अन्य के सदस्यों को भौक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निदेशक के परामर्श से दिया जाएगा।

न्यूनतम अर्हताएं।

16. (1) किसी मौलिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं ऐसी होंगी जो धारा 23 के उपनियम (1) के अनुसरण में शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाएं।

(2) शैक्षणिक प्रधिकरण द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं धारा 2 के खण्ड (ढ) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय के लिए लागू होंगी तथा जहां कतिपय अध्यापकों के संबंध में शैक्षणिक प्राधिकारण परिभाषित नहीं किया गया वहां सरकार मानकों को विनिर्दिष्ट करेगी।

(3) सरकार अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी अधिसूचित करेगी।

न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करना।

17. (1) सरकार अध्यापक को प्रर्याप्त शिक्षा सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध करवाएगी कि धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (i), (ii) तथा (vi) में निर्दिष्ट विद्यालयों में सभी अध्यापक जो अधिनियम के प्रारम्भ के समय नियम 17 के उप नियम (2) के अधीन विहित न्यूनतम अर्हताए न रखते हो, अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (ii) तथा (iv) में निर्दिष्ट विद्यालयों के अध्यापक के लिए, जो अधिनियम के प्रारम्भ होने पर नियम 17 के उप नियम (2) के अधीन कथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखता है तो ऐसे विद्यालय का संबंध अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करने के लिए ऐसे अध्यपक योग्य होंगे।

अध्यापकों की सेवा की शर्तें।

18. (1) निबंधनों और शर्तों में निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात्:–

(क) विद्यालय प्रबंधन समिति को अध्यापकों की जवाबदेही ;

(ख) विद्यालय अध्यापकों के लिए नियमों के संचालन हेतु संसकित तथा कृतिक नीति शास्त्र ;

(ग) शैक्षणिक वृत्ति में अध्यापकों के दीर्घावधि तक बने रहने के समर्थकारी उपबन्ध।

अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य।

19. (1) धारा 24 की उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों की अनुपालना में तथा धारा 29 की उप धारा (2) के खण्ड (ज) की अपेक्षा पूरी करने के क्रम में अध्यापक एक फाइल रखेंगे जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए शिष्य संचयी अभिलेख होगा जो धारा 30 की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट शिक्षा के पूरा होने के लिए प्रमाणपत्र देने हेतु आधार होगा ।

(2) धारा 24 की उप धारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त अध्यापक नियमित अध्यापन में बाधा के बिना उसको दिए गए निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा अर्थात् :–

(क) प्रशिक्षण कार्यकमों में भाग लेना ;

(ख) पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यकम विकास, प्रशिक्षण सामग्री तथा पाठय पुस्तक विकास में भाग लेना ;

(ग) दैनिक अध्यापक डायरी का रख रखाव।

(घ) धारा 4 द्वारा यथा अधिदेश विशेष प्रशिक्षण देना।

(ङ) सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बालक ने सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विद्या परिणाम का न्यूनतम स्तर तथा उस द्वारा प्राप्त स्तर की पहुंच प्राप्त कर ली है।

(च) बालक के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करना तथा शिक्षकीय प्रणाली अपनाएगा ताकि बालक के चौतरफा विकास के लिए व्यक्तिगत सावधानी सुनिश्चित की जा सकें।

(छ) विद्यालय सुविधाएं जैसा कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा आई.सी.टी, खेल कूद तथा क्रीड़ा कार्य इत्यादि का सम्पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना ।

अध्यापकों की शिकायत का निवारण।

20. सरकार अध्यापकों के लिए समुचित शिकायत निवारण प्रणाली विर्निदिष्ट करेगी।

शैक्षणिक प्राधिकरण के कर्तव्य।

21. (1) पाठयचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय शैक्षणिक प्राधिकरण, –

(क) सुसंगत और आयु समुचित पाठयक्रम तथा पाठय–पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा ;

(ख) सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन विकसित करेगा ; और

(ग) निरन्तर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा ;

(घ) धारा 30 की उप धारा (2) के प्रयोजन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी; तथा

सरकार या निदेशक द्वारा शैक्षणिक प्राधिकारी को सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

(2) शैक्षणिक प्राधिकरण नियमित आधार पर संपूर्ण विद्यालय गुणवत्ता निर्धारण की प्रक्रिया डिजाइन और कार्यान्वित करेगा ।

(3) शैक्षणिक प्राधिकरण कृत्य करेगा तथा निदेशक तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परामर्श से सभी निर्णय करेगा।

प्रमाणपत्र प्रदान करना।

22. (1) मौलिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाणपत्र मुख्य शिक्षक या प्रधान अध्यापक द्वारा मौलिक शिक्षा पूरा करने के एक मास के भीतर जारी किया जाएगा तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में–

(क) प्रमाणित किया जाता है कि धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट अध्ययन के सभी पाठ्यक्रम को बालक द्वारा पूरा कर लिया गया है ; तथा

(ख) बालक का शिक्षण संचित अभिलेख अन्तर्विष्ट होगा तथा अध्ययन के विहित पाठ्यक्रम से परे गतिविधियों के क्षेत्र में बालक की उपलब्धि भी विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा संगीत, नृत्य, साहित्य अतिरिक्त पाठ्येन्तर गतिविधियों, शौक, खेलों इत्यादि को भी शामिल किया जाएगा।

शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण का गठन।

23. सरकार इन नियमों के प्रारम्भ के छह मास के भीतर धारा 31 की उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करेगी।

राज्य सलाहकार परिषद् का गठन तथा कृत्य। धारा 34

24. (1) राज्य सलाहकार परिषद् अध्यक्ष और चौदह सदस्यों से मिलकर बनेगी:–

(i) विद्यालय शिक्षा विभाग का कार्यभारी मंत्री परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ii) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, हरियाणा परिषद् का पदेन उपाध्यक्ष होगा ;

(iii) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग का पदेन सदस्य होगा ;

(iv) राज्य परियोजना निदेशक, हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, परिषद् का पदेन सदस्य होगा ;

(v) निदेशक, महिला तथा बाल विकास विभाग, हरियाणा परिषद् का पदेन सदस्य होगा ;

(vi) निदेशक, मौलिक शिक्षा विभाग परिषद् का पदेन सदस्य सचिव होगा ;

(vii) सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, परिषद् का पदेन सदस्य होगा ;

(viii) परिषद् के अन्य सदस्य, सरकार मौलिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से निम्न प्रकार से नियुक्त करेगी:–

(क) कम से कम तीन सदस्य अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों में से होने चाहिए ;

(ख) कम से कम दो सदस्य विशेष जरूरत वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होने चाहिएं ;

(ग) एक सदस्य पूर्व मौलिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होना चाहिएं ;

(घ) कम से कम दो सदस्य शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होना चाहिएं ;

(ङ) सदस्यों का एक तिहाई पदेन सदस्यों से भिन्न महिला होंगी।

(2) निदेशक परिषद् की बैठकों और इसके अन्य कृत्यों के लिए संभार तंत्र सहायता का प्रबंध करेगा।

(3) परिषद् के कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी,–

(i) परिषद् ऐसे समय पर नियमित रूप से बैठक करेगी जो अध्यक्ष उचित समझे किन्तु इसकी अन्तिम तथा आगामी बैठक के बीच तीन मास का अन्तर नहीं होगा ;

(ii) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, यदि किसी कारण से अध्यक्ष परिषद् की बैठक में उपस्थित न हो सके तो परिषद् का उपाध्यक्ष ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा। परिषद् की बैठक की गणपूर्ति तभी पूरी समझी जाएगी यदि बैठक में इसके कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित हों।

(4) परिषद् के सदस्यों को नियुक्त करने हेतु निबंधन तथा शर्तें निम्न प्रकार से होंगी :–

(क) प्रत्येक सदस्य कार्यालय ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय में अपने पद पर रहेगा :

परन्तु कोई भी सदस्य दो अवधियों से अधिक अपना पद धारण नहीं करेगा ;

(ख) सदस्य को प्रमाणित अभद्र व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राज्य सरकार के आदेश द्वारा या निम्नलिखित किसी एक या अधिक घटनाओं के कारण उसके पद से हटाया जा सकता है ;

(i) दिवालियापन घोषित होने पर ; या

(ii) काम करने की मनाही या काम करने मे अक्षम होने पर ; या

(iii) विकृत चित्त या सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित करने पर ; या

(iv) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोक हित मे हानिकर है ; या

(v) सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध के लिए दोषसिद्ध किया हो ; या

(vi) परिषद् से बिना अवकाश प्राप्त किए परिषद् की निरन्तर दो बैठकों में अनुपस्थित रहा हो:

परन्तु किसी भी सदस्य को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान न किया गया हो;

(ग) यदि सदस्यों के कार्यालय में कोई रिक्ति चाहे उसकी मृत्यु के कारण, इस्तीफा या अन्यथा होती है, तो ऐसी रिक्ति उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार नई नियुक्ति करते हुए 120 दिन की अवधि के भीतर भरी जाएगी ;

(घ) परिषद् के सदस्य राजकीय दौरों, तथा यात्राओं के लिए समिति तथा आयोग तथा उसी प्रकार के व्यक्तियों के प्रवर्गों, के गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्तों की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

शंकाओं का दूर किया जाना।

25. जहां इन नियमों के लागू होने के उपबंधों में से किसी की व्याख्या के बारे में कोई शंका उत्पन्न होती है तो मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

परिशिष्ट I

(देखिए नियम 12)

हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल, शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के लागू होने से पूर्व स्थापित विद्यालय के लिए न्यूनतम भूमि/मानक भवन

क्रम संख्या	ब्यौरे	प्राथमिक विद्यालय	मिडल विद्यालय
1	भूमि	भवन तथा खेल मैदान के लिए भूमि	भवन तथा खेल मैदान के लिए भूमि
2	भवन	बाधा मुक्त पहुँच सहित सभी मौसम भवन	बाधा मुक्त पहुँच सहित सभी मौसम भवन
3	कक्ष संख्या	प्रति अध्यापक एक कक्ष	प्रति अध्यापक एक कक्ष
4	कार्यालय कक्ष/मुख्य अध्यापक कक्ष/भण्डार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
5	रसोई एवं भण्डार (जहां कहीं लागू हों)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
6	प्रसाधन	लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक–पृथक	लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक–पृथक
7	खेल मैदान	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
8	चार–दीवारी/बाड़ा	पर्याप्त ऊँचाई	पर्याप्त ऊँचाई
9	पुस्तकालय	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

परिशिष्ट II

(देखिए नियम 12)

हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के लागू होने के बाद स्थापित विद्यालय के लिए न्यूनतम भूमि/मानक भवन

क्रम संख्या	ब्यौरे	प्राथमिक विद्यालय	मिडल विद्यालय
1	भूमि (नगरपलिका क्षेत्र)	0.5 एकड़ (एकल सुसम्बद्ध इकाई)	0.5 एकड़ (एकल सुसम्बद्ध इकाई)
2	भूमि (ग्रामीण क्षेत्र)	0.5 एकड़ (एकल सुसम्बद्ध इकाई)	एक एकड़ (एकल सुसम्बद्ध इकाई)
3	भवन	बाधा मुक्त पहुँच सभी मौसम भूकम्पसह भवन (1.12 के अनुपात में रैम्प का ढलान)	बाधा मुक्त पहुँच सभी मौसम भूकम्पसह भवन (1.12 के अनुपात में रैम्प का ढलान)
4	कक्षा–कक्ष का आकार (आई.एस. 8827–1978 के अनुसार प्रति विद्यार्थी कम से कम 12 वर्ग फुट)	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
5	कक्षा कक्षों की संख्या	प्रति अध्यापक एक कक्ष	प्रति अध्यापक एक कक्ष
6	कार्यालय एवं मुख्य कक्ष	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
7	पुस्तकालय	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
8	प्रयोगशालाएं (विज्ञान/गणित/भूगोल/कम्प्यूटर/अन्य प्रयोगशालाओं सहित)	600 वर्ग फुट (वैकल्पिक)	600 वर्ग फुट
9	भण्डार	375 वर्ग फुट	375 वर्ग फुट
10	रसोई एवं भण्डार (जहां कहीं लागू हो)	270 वर्ग फुट	270 वर्ग फुट
11	गतिविधि कक्ष (वैकल्पिक)	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
12	बहुसाधन/एजुसैट कक्ष	600 वर्ग फुट	600 वर्ग फुट

13	लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक प्रसाधन (विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए ग्रैब रेल ला हाईट कमोड विशेष प्रसाधन की व्यवस्था सहित)	432 वर्ग फुट	432 वर्ग फुट
14	चारदीवारी	6 फुट ऊँचाई	6 फुट ऊँचाई
15	बरामदा	8 फुट चौड़ा	8 फुट चौड़ा
16	सीढ़ी (यदि कोई हो)	8 फुट चौड़ी	8 फुट चौड़ी

टिप्पण :–

1. प्रत्येक कक्ष में वायुसंचार तथा प्रकाश के लिए दो दरवाजे तथा पर्याप्त खिड़कियां होंगी।
2. भूमि/भवन दस्तावेजों सहित समुचित प्राधिकारणों से भूमि स्वामित्व प्रमाण, भवन निष्पादन प्रमाण–पत्र, अवसंरचना सुरक्षा प्रमाण–पत्र तथा अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र भूमि उपयोग इत्यादि के परिवर्तन के बारे में अनुज्ञा प्रस्तुत की जानी होगी।

परिशिष्ट III

[देखिए नियम 2 (भ)]

बालकों के लिए वर्दी

	लड़के	लड़कियां
कपड़े	कमीज–पैंट	प्राथमिक– सलवार–कमीज या टॉप तथा सकर्ट कम्बीनेशन मिडल– सलवार–कमीज दुपट्टा या टाप तथा सकर्ट कम्बीनेशन
	जुराबें, गर्म पुरी बाजु की जर्सी (सर्दी)	जुराबें, गर्म पुरी बाजु की जर्सी (सर्दी)
अतिरिक्त वस्तुएं	बैल्ट, गले की टाई, पहचान टैग, फीतों वाले जूते।	बैल्ट, गले की टाई, पहचान टैग, फीतों वाले जूते।

प्ररुप I

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वः घोषणा–एवं–आवेदन पत्र

[देखिए नियम 12 (1)]

सेवा में,

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
जिला .....
(हरियाणा)

महोदय/महोदया,

मैं इसके द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के अनुपालन के संबंध में एक स्वः घोषणा और .... (विद्यालय का नाम) को ..... वर्ष 20..... विद्यालय के मान्यता प्रदान करने के लिए विहित प्रारूप में आवेदन अग्रेषित करता/करती हूँ।

अनुलग्नक :

भवदीय,

प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष/प्रबन्धक

स्थान :
तारीख :

क. विद्यालय के ब्यौरे		
1	विद्यालय का नाम	
2	शैक्षिक सत्र	
3	जिला	
4	डाक पता	
5	ग्राम/शहर	
6	तहसील	
7	पिन कोड	
8	एसटीडी कोड सहित दूरभाष नम्बर	
9	फैक्स	
10	ई–मेल पता, यदि कोई हो	
11	निकटतम पुलिस थाना	
ख. साधारण सूचना		
1	स्थापना का वर्ष	
2	पहली बार विद्यालय खोलने की तिथि	
3	न्यास/सोसाइटी/प्रबन्धक समिति का नाम	
4	क्या न्यास/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति पंचीकृत है	
5	वह अवधि, जिस तक न्यास/सोसाइटी/प्रबन्धक समिति का पंजीकरण विधिमान्य है	
6	गैर स्वामित्व क्या न्यास/सोसाइटी/प्रबन्धन समिति के प्रकृति का कोई साक्ष्य है, जो शपथ–पत्र सदस्यों के पत्रों सहित उनकी सूची द्वारा समर्थित हो	
7	विद्यालय के प्रबंधक/अध्यक्ष/चेयरमैन का नाम और शासकीय पता	
	नाम	
	पदनाम	
	पता	
	दूरभाष	(कार्यालय) ..... (निवास) .....

8	पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल आय और व्यय आधिक्य/कमी			
	वर्ग	आय	व्यय	आधिक्य/कमी
9	यदि विद्यालय के लिए भूमि सरकार या किसी अन्य सुविधा के लिए नकद में या किसी प्रकार से सरकार से ली है।			

ग. विद्यालय का स्वरुप और क्षेत्र

1	शिक्षा का माध्यम	
2	विद्यालय की किस्म (प्रवेश और अंतिम कक्षाएं विनिर्दिष्ट करें)	
3	यदि सहायता प्राप्त है, तो अभिकरण का नाम और सहायता का प्रतिशत	
4	यदि विद्यालय मान्यताप्राप्त है	
5	यदि हां, तो किस प्राधिकारी द्वारा • मान्यता संख्याक	
6	क्या विद्यालय का अपना स्वयं का भवन है या वह किराए के भवन में कार्य कर रहा है?	
7	क्या विद्यालय के भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थलों का उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है	
8	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र	

घ. नामांकन स्थिति

	कक्षा	अनुभागों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1	पूर्व–प्राथमिक		
2	I से V		
3	VI से VIII		

ङ. अवसंरचना के ब्यौरे और स्वच्छता संबंधी दशाएं			
	कक्ष	संख्या	औसत आकार
1	कक्षा		
2	कार्यालय कक्ष–सह–भंडार कक्ष–सह–प्राध्यापक कक्ष		
3	रसोई–सह–भंडार		

च. अन्य सुविधाएं		
1	क्या सभी प्रसुविधाओं तक बाधारहित पहुंच प्राप्त है	
2	अध्यापक पठन सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3	खेलकूद और क्रीड़ा उपस्कर (सूची संलग्न करें)	
4	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा • पुस्तकें (पुस्तकों की संख्या) • पत्रिकाएं/समाचार–पत्र	
5	पेयजल सुविधाओं की किस्म और संख्या	
6	स्वच्छता संबंधी दशाएं	
	(i) शौचालयों और मूत्रालयों की संख्या	
	(ii) बालकों के लिए पृथक मूत्रालयों/शौच गृहों की संख्या	
	(iii) बालिकाओं के लिए मूत्रालयों/शौच गृहों की संख्या	

छ. अध्यापन कर्मचारिवृंद की विशिष्टियां			
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)
	शैक्षिक अर्हता (4)	वृत्तिक अर्हताए (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	सौंपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
2 प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में अध्यापन (प्रत्येक अध्यापक के ब्यौरे पृथक रुप से)			
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)
	शैक्षिक अर्हता (4)	वृत्तिक अर्हताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	सौंपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

3 प्रधान अध्यापक			
	अध्यापक का नाम (1)	पिता/पति या पत्नी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)
	शैक्षिक अर्हता (4)	वृत्तिक अर्हताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	सौंपी गई कक्षा (7)	नियुक्ति की तारीख (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

ज. पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम		
1	प्रत्येक कक्षा में अपनाई गई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के ब्यौरे (कक्षा आठ तक)	
2	विद्यार्थियों के निर्धारण की पद्धति	
3	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा आठ तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है?	

(झ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन के साथ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के इस आंकड़े प्राप्ति प्रारुप में भी सूचना प्रस्तुत की है।

(ञ) प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विद्यालय को कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(ट) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय वचनबद्ध है कि ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित प्राधिकारी या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ऐसे अनुदेशों की अनुपालना करेगा, जो मान्यता की शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या विद्यालय के कार्यक्रम में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

(ठ) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संगत विद्यालय के अभिलेख किसी भी समय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और विद्यालय ऐसी सभी सूचनायें प्रस्तुत करेगा, जो केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकाय या प्रशासन को यथास्थिति संसद/पंचायत/नगरपालिका के प्रति उसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।

हस्ता/–
प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष/प्रबन्धन
विद्यालयः ————————

स्थान :
दिनांक :

प्ररुप – II

[*देखिए नियम 12 (4)*]

फोन :

निदेशक, मौलिक शिक्षा हरियाणा का कार्यालय

सेवा में

प्रबन्धक,
..... विद्यालय।

विषयः– **निः शुल्क और अनिवार्य बालक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक ..... के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं ..... (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तिथि ..... से तिथि ..... तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा ..... तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता / देती हूँ।

उपरोक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1 मान्यता की अनुमति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवीक्षित नहीं है।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बालक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 की पालना करेगा।

3 विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति, पूर्व प्राथमिक कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के ..... प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद ग्रुप के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य मौलिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा :

परन्तु पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस मानक का अनुसरण किया जाएगा।

4 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 विद्यालय किसी शुल्क या प्रभार का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी छंटनी (स्क्रीनिंग) प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का साक्ष्य न होने के कारण यदि ऐसा प्रवेश, प्रवेश के लिए विनिर्दिष्ट विस्तारित अवधि के पश्चात् चाहा गया है, तो उसे मना नहीं किया जाएगा तथा धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।

7 विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा कि :–

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक या बालिका को विद्यालय में उसकी मौलिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं करेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं करेगा;

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा;

(iii) मौलिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(iv) मौलिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक/बालिका को नियम 22 के अधीन तथा अधिकथित एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा;

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना;

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है; और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे ;

8 विद्यालय शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9 विद्यालय को धारा 19 में यथा विहित, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के लिए नामांकित विद्यार्थियों में सन्तुलित करेगा।

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों तथा संनियमों को बनाए रखने के लिए अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:–

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल कुल निर्मित क्षेत्र

(ii) क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल

(iii) कक्षाओं की संख्या

(iv) मुख्याध्यापक सह–कार्यालय–सह–भंडारागार के लिए कक्ष

(v) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

(vi) पेयजल सुविधा

(vii) अपराह्न भोजन पकाने के लिए पाकशाला

(viii) बाधारहित पहुंच

(ix) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13 विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत किसी समिति द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

15 आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक ..... है। कृपया इसे लिख लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

16 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर मौलिक शिक्षा निदेशक/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के ऐसें अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

17 समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि, कोई हों, को सुनिश्चित किया जाए।

18 परिशिष्ट III के अनुसार अन्य शर्तें संलग्न की जाएं।

भवदीय

संयुक्त निदेशक (प्रशासन/अपर निदेशक प्रशासन)

कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा।

प्रारुप–III

बालक ट्रैकिंग प्ररुप

[*देखिए नियम 6 (5)*]

(क) एकमात्र पहचान संहिता, नाम, लिंग, जन्मतिथि (जिसमें जन्म प्रमाण पत्र संख्या, जहां कहीं सम्भव हो, शामिल है) जन्म का स्थान;

(ख) माता–पिता या संरक्षक का नाम, पता, व्यवसाय;

(ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र जिसमें बालक उपस्थित होता है (पाँच वर्ष की आयु तक);

(घ) मौलिक विद्यालया जहां बालक दाखिल है/था;

(ड़) बालक का वर्तमान पता;

(च) कक्षा जिसमें बालक अध्ययन कर रहा है/या (पाँच वर्ष तथा से अधिक की आयु के बालक के लिए, किन्तु जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है);

(छ) यदि शिक्षा स्थानीय श्रेत्रीय प्राधिकरण की क्षेत्रीय अधिकारिता में बन्द हो गई है, ऐसी समाप्ति के कारण तथा अवधि;

(ज) क्या बालक कमजोर वर्ग एवं अलाभप्रद ग्रुप से संबंधित है (नियम 2(1)(च) में यथा परिभाषित कमजोर वर्ग तथा अलाभप्रद ग्रुप का प्रवर्ग सूचित करें)।

(झ) प्रवास तथा विरल जनसंख्या, उचित आयु प्रवेश तथा अशक्तता के कारण विशेष सुविधाएं की अपेक्षा वाले बालकों के ब्यौरे।

(ञ) विद्या–प्राप्ति (उचित कक्षा/आयु के अनुसार पढ़ाई/लिखाई/बोध/सक्षमता)।

सुरीना राजन,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग।